अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
	श्री	

17.9.19 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट उपस्थित। अपील में बहस अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

पत्रावली वास्ते आदेशार्थ अपील दिनांक 25/9/19 को पेश हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

मोहन सिंह बनाम गोपाल वगैरह

25/9/19 पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश। अभिभाषक अपीलांट एवं अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 उपस्थित। दिनांक 17.09.2019 को अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ ने अपीलांटस को सुनवाई एवं साक्ष्य का कोई अवसर प्रदान नहीं किया बल्कि पहली पेशी पर ही बिना न्यायालय के आदेश के चस्पादंगी द्वारा कराई गई, जो अवैध तामील को पूर्ण मानकर उसी दिन एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित कर दिये जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत है। आदेश 05 नियम 18 व 19 जा.दी. के मुताबिक प्रतिवादीगण पर व्यक्तिगत तामील करवाई जानी चाहिए एवं बार बार प्रयास के बावजूद भी यदि व्यक्तिगण तामील संभव नहीं है तो उस स्थिति में न्यायालय के आदेश पर चस्पांनगी से तामील की जा सकती है लेकिन प्रस्तुत प्रकरण में न्यायालय का चस्पागनी बाबत् कोई आदेश नहीं था बल्कि तामील कुनिन्दा ने रेस्पोडेन्ट्स से साज कर सभी अपीलांटस के नोटिस अपीलांटस को बहार गॉव जाना बताकर उन्ही दो गवाहों के हस्ताक्षर करवाते हुए चस्पानगी कर दी एवं अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ ने उक्त चस्पागनी को पूर्ण तामील मानकर अपीलांटस के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही कर आदेश पारित करने में भारी कूननी एवं तथ्यात्मक भूल की है जो काबिल निरस्तनीय है। यहॉ पर यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त गवाहान की कोई वल्दीयत अथवा पहचान अंकित नहीं की गई है जिससे स्पष्ट साबित है कि उक्त तामील सोची समझी साजिश के तहत् रेस्पोडेन्टस से मिलकर करवाई गई थी।

अभिभाषक अपीलांट ने आगे बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि तालाबी एवं मोरी की भूमि है जो कानूनन आवंटन योग्य ही नही थी एवं जिस व्यक्ति की वादग्रसत भूमि अवैधानिक रूप से आवंटित की गई थी उक्त व्यक्ति से रेस्पोडेन्टस अपने आपको क्रेता बताते है। वादग्रस्त भूमि आवंटन नियमों के नियम 4 के तहत् आवंटन योग्य नहीं होने एवं खातेदारी प्रदत्त किये जाने योग्य नही होन से तहसीलदार, सरवाड़ ने उक्त आवंटन को निरस्त करवाने हेतु अपन जिला कलक्टर, अजमेर के न्यायालय में इस आधार रेफरेन्स प्रस्तुत किया हुआ है,जो विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में जब उक्त आवंटन को निरस्त करने हेतु रेफरेन्स विचाराधीन है तो फिर कानूनन रेस्पोडेन्टस खातेदार ही नही है जिन्हे स्थायी निषेधाज्ञा का वाद अथवा प्रार्थना पत्र लाने का कोई कानूनी अधिकार नही है फिर भी उक्त वाद एवं प्रार्थना पत्र की मेन्टीनेबिलिटी पर कोई गौर किये बिना एवं अपीलांटस को साक्ष्य एवं सुनवाई अवसर प्रदान किये बिना सरसरी तौर पर आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है। न्यायालय हाजा से अनुरोध है अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ के आदेश दिनांक 04.03.2014 को निरस्त फरमाया जावे।

अभिभाषक रेस्पोडेन्टस ने दौराने बहस अपील में निवेदन किया कि अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस प्रभावशली व सामन्तशाही प्रवृति के व्यक्ति है। प्रार्थीगण संख्या 1 से 03 की उक्त भूमि के चारों तरफ अप्रार्थीगण के खेत है इसलिए अप्रार्थीगण/अपीलांटस, प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
	श्री ... श्री ...	

करते थे इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। प्रार्थीगण अनुसूचित जाति के व्यक्ति है जबकि अप्रार्थीगण स्वर्ण जाति के व्यक्ति है एवं प्रार्थीगण ने उक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.05.2012 को प्रार्थी संख्या 04 पूर्व स्वामी सत्यनारायण पुत्र कजोड़ जाति खटीक से खरीदकर कब्जा प्राप्त किया। उक्त भूमि खरीदने से पहले प्रार्थी संख्या 04 का कब्जा कांश्त था जबकि अपीलाधीन भूमि खरीद करने के पश्चात प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अभिभाषक अपीलांट का यह कथन कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक पक्षीय कार्यवाही रेस्पोडेन्टस के द्वारा कारवाही गई यह कथन गलत है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे सलंग्न नोटिस पर चस्पानगी की रिपोर्ट प्राप्त हुई इसलिए न्यायालय ने उनकी तामील मानी है। अपीलांटस का विवादित आराजी से किसी प्रकार का कोई सारोकार नहीं है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस खारिज की जावे।

अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम स्यार तहसील सरवाड़ जिला अजमेर स्थित खाता संख्या 693 के खसरा नम्बर 540 रकबा 08—17—00 बीघा के खातेदार सत्यनारायण पुत्र कजोड़ जाति खटीक की खातेदारी में दर्ज है। छाया प्रति विक्रय पत्र दिनांक 22.05.2012 से खातेदार सत्यनारायण द्वारा रेस्पोडेन्ट गोपाल, रामदेव, रामस्वरूप को पंजीबद्ध विक्रय पत्र से बेचान कर कब्जा सुपुर्द किया गया है। अपीलांट के नाम अपीलाधीन भूमि दर्ज नहीं है, नहीं अपील पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत की है कि अपीलाधीन भूमि में अपीलांट को कोई हक अधिकार निहित है। प्रथम दृष्टया जमाबंदी व विक्रय पत्र से अपीलाधीन भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 03 कि खरीदशुदा भूमि प्रमाणित होती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील अपीलांटस खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलांटस खारिंज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर